

संचिका सं०-10/अति०-08-27/2014 309(10)


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-24(10), दिनांक-09.04.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-01(10)ब, दिनांक-05.05.2016 की कंडिका-4 को आंशिक संशोधन किया जाता है:-

2. "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म 26 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० एकाउन्ट में सुलभ करायेंगे" के स्थान पर "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म 46 में कर खाता अन्तरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पी०एल० एकाउंट में सुलभ करायेंगे" पढ़ा जाय ।


3. शेष यथावत रहेंगे ।


(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-10/अति०-08-27/2014 309(10) /स्वा०, पटना, दिनांक:-30/06/2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, विस्कोमान भवन, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बगहा-1/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7,10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।